संख्या: 17/2016/1237/12-2-2016-60(3)/2016

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2016

विषय: भारत सरकार के निर्गत प्राविधानों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (नई फसल बीमा योजना) को खरीफ 2016 मौसम से प्रदेश में लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: कैम्प 217 सी0 32/फ0बी0/2016-17 दिनांक 19 फरवरी, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा खरीफ 2016 मौसम से नई फसल बीमा योजना के रुप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में शासन द्वारा प्रदेश के 65 जनपदों में संचालित संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा 10 जनपदों में संचालित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के स्थान पर प्रदेश के समस्त जनपदों में खरीफ, 2016 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संचालन औद्यानिक फसल केला के लिए जनपद कुशीनगर व गोरखपुर और फसल मिर्चा के लिए जनपद फतेहपुर एवं फिरोजाबाद में निम्न शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना:-

(1) यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की जायेगी। प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल नष्ट होने की स्थिति, फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति तथा फसल कटाई के उपरान्त खेत में फसल नष्ट होने की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी ऋणी कृषक अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर योजना में सम्मिलित किये जायेंगे।

(3) कवर किये गये जोखिम:-

- प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण अधिसूचित फसल की बुवाई न कर पाने के जोखिम को कवर किया जायेगा।
- खड़ी फसलों की बुवाई से कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं व अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों को योजना में कवर किया जायेगा।
- फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में कटी हुई अधिसूचित फसल को बेमौसम वर्षा, चक्रवात, जलप्लावन से नष्ट होने की स्थिति को व्यक्तिगत आधार पर कवर किया जायेगा।
- **स्थानिक आपदाओं-** ओला, भूस्खलन, जलप्लावन से फसलों की क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर क्षति का आंकलन किया जायेगा।
- फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की उपज सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में संभावित क्षति के 25 प्रतिशत तक बीमा कम्पनी द्वारा तत्काल भुगतान किया जायेगा।

(4) **खाद्य फसलें** (अनाज, कदन्न व दलहन) तिलहन व वार्षिक नगदी/औद्यानिकी फसलों को योजना में कवर किया जायेगा।

(5) **बीमित राशि-** जनपद स्तर पर जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसलों के निर्धारित किये गये वित्तमान (स्केल आफ फाइनेन्स) के बराबर बीमित राशि होगी।

(6) **प्रीमियम दर-** फसलों को वास्तविक प्रीमियम दर पर अधिसूचित किया जायेगा। खाद्यान्न, कदन्न (मोटा अनाज), दलहन एवं तिलहनी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि के खरीफ मौसम की फसलों हेतु दो प्रतिशत तथा रबी मौसम की फसलों हेतु डेढ़ प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा गया है। खरीफ व रबी की वार्षिक नगदी फसलों/वार्षिक औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि के पाँच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित किया गया है।

कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अन्तर की धनराशि को प्रीमियम पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान के रुप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा।

(7) राज्य सरकार की वित्तीय देयता प्रीमियम पर अनुदान मद तक सीमित होगी। कृषकों को देय समस्त क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी तथापि अत्यधिक आपदा होने से फसल की क्षति की स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम व क्षतिपूर्ति का अनुपात 1:3.5 अथवा क्षतिपूर्ति की धनराशि बीमित राशि के 35 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, जो अधिक हो, में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति मद में इस अतिरिक्त देयता को बराबर-बराबर वहन किया जायेगा।

(8) भारत सरकार द्वारा नामित बीमा कम्पनियों अथवा प्रदेश सरकार के उपक्रम के रुप में प्रदेश स्तर पर गठित बीमा कम्पनी को क्रियान्वयन अभिकरण के रुप में अधिकृत किया जायेगा।

(9) फसल की क्षति का आँकलन बीमा इकाई स्तर पर निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर आंकलित उपज के अनुमानों के आधार पर किया जायेगा। बीमा इकाई क्षेत्र में बुवाई न कर पाने, फसल की मध्य अवस्था तक अधिसूचित फसल की संभावित उपज 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में क्षति का आंकलन बीमा कम्पनी द्वारा बीमा इकाई स्तर पर किया जायेगा। स्थानिक आपदा-ओलावृष्टि,भूस्खलन, जलप्लावन की स्थिति तथा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में कटी हुई अधिसूचित फसल को बेमौसमवर्षा, चक्रवात, जलप्लावन से नष्ट होने की स्थिति में क्षति का आंकलन बीमा कम्पनी द्वारा व्यक्तिगत आधार पर किया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उपज के अनुमान फसल कटाई के उपरान्त एक माह की अवधि में बीमा कम्पनियों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा बीमा कम्पनी द्वारा उपज के अनुमानों के आधार पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति का आंकलन कर अधिकतम तीन सप्ताह में क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमित कृषकों के बैंक खाते में जमा कराया जायेगा।

2- <u>पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना</u>

(1) यह योजना औद्यानिक फसल केला के लिए जनपद कुशीनगर व गोरखपुर और फसल मिर्चा के लिए जनपद फतेहपुर व फिरोजाबाद में लागू की जायेगी। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रुप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी ऋणी कृषक अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर योजना में सम्मिलित किये जायेंगे।

(3) **<u>कवर किये गये जोखिम-</u>**

कम वर्षा, बेमौसम/अधिक वर्षा, पाला, कम व अधिक तापमान, आर्द्रता आदि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के जोखिम को योजना में कवर किया जायेगा।

(4) इस योजना में वार्षिक नगदी/औद्यानिकी फसलों को कवर किया जायेगा।

(5) **<u>बीमित राशि</u>-** जनपद स्तर पर जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसलों के निर्धारित किये गये वित्तमान (स्केल आफ फाइनेन्स) के बराबर बीमित राशि होगी।

(6) **<u>प्रीमियम दर-</u>** खरीफ व रबी की वार्षिक नगदी फसलों/वार्षिक औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि के पाँच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित किया गया है।

कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अन्तर की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रुप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा।

(7) राज्य सरकार की वित्तीय देयता प्रीमियम पर अनुदान मद तक सीमित होगी। कृषकों को देय समस्त क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी तथापि अत्यधिक आपदा होने से फसल की क्षति की स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम व क्षतिपूर्ति का अनुपात 1:3.5 अथवा क्षतिपूर्ति की धनराशि बीमित राशि के 35 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, जो अधिक हो, में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति मद में इस अतिरिक्त देयता को बराबर-बराबर वहन किया जायेगा।

(8) भारत सरकार द्वारा नामित बीमा कम्पनियों अथवा प्रदेश स्तर पर गठित बीमा कम्पनी को क्रियान्वयन अभिकरण के रुप में अधिकृत किया जायेगा।

(9) क्षति का आँकलन बीमा कम्पनियों द्वारा फसल विशेष हेतु प्रस्तावित टर्मशीट में निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप बीमा इकाई स्तर पर स्थापित स्वचालित मौसम मापी यंत्रों से प्राप्त मौसम के प्रतिदिन के आँकड़ों के आधार पर किया जायेगा। बीमित कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा अवधि के समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

3- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में 110- फसल बीमा, 01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0102- नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम (के.50/रा.50), 27- के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सब्सिडी मद में उपलब्ध प्राविधान धनराशि रूपये 450 करोड़ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम पर अनुदान मद में राज्यांश की देयता के भुगतान के रूप में एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशानुसार उपयोग किया जायेगा।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स/प्रावधानों के अनुसार ही किया जायेगा एवं लाभार्थियों की सूची कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाली जायेगी।

5. कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।